संख्या– 275 /USDMA-79(2019)

प्रेषक,

सचिव (प्रभारी)
आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव
मा. मुख्यमंत्री
उत्तराखण्ड शासन।

यू.एस.डी.एम.ए. देहरादून:दिनांकः 18 मार्च, 2020

विषय– **कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण से उत्पन्न स्थिति में जनपदों को मा. मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से धनराशि आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

जैसा कि आप अवगत हैं कि कोरोना वायरस (COVID-19) के जोखिम से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा उपरान्त विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा उक्त वायरस को महामारी घोषित किया गया है। तद्क्रम में गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सभी राज्यों को सर्तकता का उचित स्तर बनाते हुये यथोचित कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

उल्लेखनीय है कि राज्य के कई जनपद अन्तर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं और प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक की आवाजाही बनी रहती है। अतः ऐसी स्थिति में उक्त वायरस के संक्रमण की यहाँ प्रबल सम्भावनायें हैं।

अतः उक्त वायरस के संक्रमण से उत्पन्न स्थिति में स्वास्थ्य व तद्सम्बन्धित अन्य सेवाओं को तत्पर रखे जाने हेतु नैनीताल, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चम्पावत, उत्तरकाशी, पौड़ी, टिहरी व रूद्रप्रयाग को क्रमशः 1.0–1.0 करोड़ की धनराशि जबकि जनपद उधमसिंह नगर, हरिद्वार व देहरादून को रू. 2.0–2.0 करोड़ की धनराशि मा. मुख्य मंत्री विवेकाधीन कोष से अवमुक्त किये जाने का अनुरोध है। कृपया उक्त पर कार्यवाही किये जाने हेतु सम्बन्धितों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

18/3/2020

(एस. ए. मुरूगेशन)
सचिव (प्रभारी)